बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड

(बिहार सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 के तहत गठित)
II तल्ला, हज भवन, 34 अली इमाम पथ, (हार्डिंग रोड) पटना-1
दूरभाष सं0 0612-2230581, फैक्स+फोन सं0 2213865
वेबसाईट:- www.bsswb.org, ई-मेल:- bsswboard@gmail.com

पत्रांक :- 2372 / दिनांक 10/08/2018

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी/
पुलिस उपाधीक्षक/उप-समाहर्ता भूमि सुधार/जिला अपर-समाहर्ता/
अंचल अधिकारी

विषयः- वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा, अवैध क्रय विक्रय एवं अतिक्रमण मुक्त तथा दोषियों के विरूद्ध उचित कानूनी कारवाई करने के सम्बंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि अल्लाह के नाम पर समाजिक कल्याण एवं धार्मिक कृत्यों हेतु स्थाई रूप से दी गई सम्पत्ति वक्फ की श्रेणी में आती है। इसके अन्तर्गत यतीमखाना, मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, मजार, खानकाह एवं करबला आदि आते है। वक्फ अल्लाह की मिलकियत है जो अहस्तान्तरणीय है। वक्फ सम्पत्ति निबंधित या अनिबंधित भी हो सकती है।

निम्न वर्णित समुह की भूमि वक्फ के प्रावधानों के अनुसार वक्फ की सम्पत्ति है तथा इसका संचालन वक्फ अधिनियम के प्रावधनों के अनुरूप होता है।

1. ऐसी भूमि जिसमें कब्रिस्तान या मकबरा का कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह मौजुद हो।
2. ऐसी भूमि जो कि गैरमजरूआ कब्रिस्तान है लेकिन गलत तौर पर इसे सिर्फ गैरमजरूआ दिखाया गया हो।
3. मस्जिद की भूमि।
4. इमामबाड़ा की भूमि।
5. ऐसी भूमि जो दरगाह या खानकाह की हो।
6. वक्फनामा के द्वारा वक्फ की गई भूमि।

इस सम्बंध में यह कहना है कि कुछ भू-माफियाओं तथा वक्फ की सम्पत्ति पर गलत निगाह रखने वाले व्यक्तियों द्वारा नाजायज तौर पर जालसाजी कर तथा सम्बंधित अधिकारियों को गुमराह कर सर्वे खतियान तथा अधिकार सम्बंधि अन्य दस्तावेजों में अपना नाम दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है। साथ ही इन नाजायज कागजातों के आधार पर वक्फ सम्पत्ति का खरीद बिक्री कर ली जाती है।

वक्फ की सम्पत्तियों को उनके उक्त वर्णित विशिष्ट स्वरूप के आधार पर सर्वे खतियान में दर्ज करने तथा इनके गैर कानुनी कारोबार पर रोक लगाने के सम्बंध में बोर्ड द्वारा राज्य के सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया है।

वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित 2013) की धारा 51 में संशोधन कर एक नया सब-धारा 51(1-A) लाया गया है। जिसके अनुसार किसी भी वक्फ सम्पत्ती का बिक्री दान, बदलैन, ग्रिवी या स्थानान्तरण को पुर्ण तौर पर अवैध घोषित किया गया है।

which is waqf property, shall be void unless such lease is effected with the prior sanction of the Board:

(1-A) Any sale, gift, exchange, mortgage or transfer of waqf property shall be void ab initio:"

वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित 2013) में संशोधन कर नया धारा 52-A लाया गया है। जिसके द्वारा वक्फ की पुर्वानुमति के बिना किसी भी चल या अचल वक्फ सम्पत्ति को बेचने, खरीदने या किसी भी प्रकार कब्जा बनाने वाले के विरूद्ध अपराधिक मामला चलाने का प्रावधान है तथा इसके लिए दो साल की सश्रम कारावास की सजा नियत की गयी है। यह एक संज्ञानिय एवं अजमानतीय अपराध है।

"52-A Penalty for alienation of waqf property without sanction of Board.- (1) Whoever alienates or purchases or takes possession of, in any manner whatsoever either permanently or temporarily, any movable or immovable property being a waqf property, without prior sanction of the Board, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to two years:

Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) any offence punishable under this section shall be cognizable and not-bailable."

वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित 2013) में संशोधन कर नया धारा 104-A लाया गया है। जिसके द्वारा चल या अचल वक्फ सम्पत्ती के बिक्री, दान, बदलने, ग्रिवी या स्थानान्तरण पर पूर्ण तौर पर रोक लगाया गया है। इसके अनुसार कोई वयक्ति वक्फ की चल या अचल सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बिक्री, दान, बदलैन, ग्रिवी या स्थानान्तरण नहीं कर सकता है। तथा इस प्रकार अपनाई गई प्रक्रिया अवैध होगी।

"104-A. Prohibition of sale, gift, exchange, mortgage or transfer of waqf property. – (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force or any waqf deed, no person shall sell, gift, exchange, mortgage or transfer any movable or immovable property which is a waqf proeperty to any other person.

(2) Any sale, gift, exchange, mortgage or transfer of property referred to in sub-section (1) shall be void ab initio."

अतः उक्त वर्णित तथ्यों तथा कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुरोध है कि वक्फ की सम्पत्ती को सुरक्षा प्रदान करने, अवैध क्रय-विक्रय को रोकने तथा अतिक्रमण मुक्त कराने एवं दोषियों के विरूद्ध उचित कानुनी कारवाई करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि वक्फ सम्पत्ती को बर्बादी से बचाया जा सके।

विश्वासभाजन

9/8/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड,पटना।